प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ 50 नगर निकायों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा हेतु दिनांक–01.02.2019 को आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– संलग्न

बैठक में नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंताओं के साथ नगर निकायों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं की समस्याओं पर चर्चा की गई तथा निम्नवत निर्णय लिये गये :–

1. बाढ :– PHED द्वारा सभी 27 वार्डों में आशिंक रूप से गृह जल संयोजन का कार्य किया जा रहा है। साथ ही निश्चय योजना के अन्तर्गत 10 वार्डों में नगर निकाय द्वारा भी गृह संयोजन किया जा रहा है। PHED के अभियंता द्वारा बताया गया कि उन्हें उपलब्ध करायी गई राशि से सभी वार्डों को पूर्णतः आच्छादित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार निर्णय लिया गया कि कुल 27 वार्डो में से 17 वार्डों को PHED द्वारा पूर्णतः आच्छादित करने हेतु दिनांक–15.02.2019 तक प्राक्कलन PHED द्वारा उपलब्ध कराया जाय। 10 वार्डों में नगर निकाय द्वारा पूर्ण रूप से गृह जल संयोजन किया जायेगा। नगर निकाय द्वारा उक्त 10 वार्डों में PHED के pipeline का भी उपयोग किया जायेगा। PHED द्वारा आच्छादित 17 वार्डो का 5 वर्षीय O&M उनके द्वारा किया जायेगा तथा शेष वार्डो का O&M नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

2. अरवल :– नगर परिषद्, अरवल में 1 वार्ड में जलापूर्ति कार्य बुडको द्वारा किया जा रहा है एवं शेष अन्य सभी 24 वार्डों में निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल का जल का कार्य नगर निकाय द्वारा किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की पुरानी जलापूर्ति योजना, नगर निकाय को हस्तांतरित करना है। नगर निकाय उस जलापूर्ति योजना के अधीन उपलब्ध assets एवं water source (Tubewell) का अपनी योजना में समुचित उपयोग करेगा। इसका O&M नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

3. समस्तीपुर :– लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की दो पुरानी जलापूर्ति योजना है। दोनो योजनाओं का Design Period समाप्त हो चुका है। नगर परिषद्, समस्तीपुर में 20 वार्ड बुडको द्वारा एवं 7 वार्ड में नगर निकाय द्वारा जलापूर्ति कार्य किया जा रहा है। निर्णय लिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अपनी दोनों योजनाएँ बुडको को हस्तांतरित किया जायेगा एवं तदनुसार इसका O&M भी बुडको द्वारा किया जायेगा।

C:\Users\SE Monitoring\Documents\All Files (SAHEB)-25-12-18\jha sir (EE)\PHED REPORT DT 013.02.2019 1 - Copy.docx

4. नवादा :— सभी 33 वार्डों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की पुरानी जलापूर्ति योजना से आंशिक जलापूर्ति हो रही है। एक tower को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा demolish किया जाना है, जो प्रक्रियाधीन है। नगर परिषद्, नवादा में बुडको द्वारा 23 वार्डों में एवं नगर निकाय द्वारा 10 वार्डों में जलापूर्ति योजना का कार्य किया जा रहा है। निर्णय लिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अपनी पुरानी योजनाएँ बुडको को हस्तांतरित किया जायेगा एवं बुडको द्वारा O&M का कार्य किया जायेगा।

5. अररिया :— निकाय के 28 वार्डों में से 18 वार्ड में बुडको एवं 10 वार्ड में निकाय द्वारा योजनाएँ संचालित हो रही है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की पुरानी जलापूर्ति योजना है, जिसका Design Period समाप्त हो चुका है एवं जर्जर स्थिति में है। निर्णय लिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा उक्त योजना बुडको को हस्तांतरित किया जायेगा एवं O&M बुडको द्वारा किया जायेगा।

6. मनेर :— लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की बहुत पुरानी जलापूर्ति योजनाएँ हैं, जिसमें Direct Pumping के माध्यम से नगर निकाय में आंशिक रूप से जलापूर्ति हो रही है। थाना परिसर में अवस्थित Water Tower से निकाय के लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र में जलापूर्ति संभव है। निर्णय लिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अपनी योजना नगर निकाय को हस्तांतरित किया जायेगा तथा निकाय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के water source (Tubewell) ,pipeline तथा अन्य assets का समुचित उपयोग अपनी योजना में करे।

7. विक्रमगंज :— लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पुराने जलापूर्ति योजना का Design Period समाप्त हो चुका है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि Assets यथा– Tubewell Water Tower, Motor इत्यादि सही एवं कार्यरत्त है। निर्णय लिया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी पूर्ण जाँचोपरांत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से सभी Assets के साथ हस्तांतरण लेकर उनका समुचित उपयोग अपनी योजनाओं में करे तथा OHT से वाटर सप्लाई सुनिश्चित करे।

8. नवगछिया :— लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पुराने जलापूर्ति योजना का Design Period समाप्त हो गया है। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बताया गया कि अधिष्ठापित Tube Well सही एवं कार्यरत्त है। निर्णय लिया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी, स्थानीय नगर निकाय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से हस्तांतरण ले ले तथा Tube Well का समुचित उपयोग कर जलापूर्ति योजना पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

9. निर्मली :– बुडको द्वारा 10 वार्ड एवं 2 वार्ड में नगर निकाय द्वारा जलापूर्ति योजना का कार्य किया जा रहा है। निर्णय लिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण पुराने जलापूर्ति योजना, जिसका Design Period समाप्त हो गया है, बुडको को हस्तांतरित कर दे एवं बुडको द्वारा O&M का कार्य किया जायेगा।

10. बिहियाँ :– कुल 14 वार्डो में से 9 वार्ड में नगर निकाय द्वारा जलापूर्ति योजना का कार्य किया जा रहा है। शेष 5 वार्डो में PHED द्वारा आंशिक रूप से पूर्व में कार्य कराया गया है एवं stand post के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। तदनुसार निर्णय लिया गया कि उक्त 5 वार्डो में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पूर्णतः गृह जल संयोजन कर जलापूर्ति सुनिश्चित किया जायेगा। इसके लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 15.02.2019 तक नगर विकास एवं आवास विभाग को DPR उपलब्ध कराया जायेगा।

11. भभुआ :– लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निकाय में स्थित जलापूर्ति योजना नगर निकाय को हस्तांतरित है। पूरे नगर निकाय में नगर परिषद्, भभुआ द्वारा जलापूर्ति का कार्य किया जा रहा है तथा 15 वार्ड पूर्णतः आच्छादित है। निदेश दिया कि सभी 25 वार्डों को नगर निकाय पूर्णतः गृह जल संयोजन से आच्छादित करें।

12. मोहनियाँ :– लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 3 वार्डो में पूर्व से stand post द्वारा आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है। शेष 13 वार्डो में नगर निकाय द्वारा जलापूर्ति योजना का कार्य किया जा रहा है। PHED की उक्त योजना Design Period के अंतर्गत है। निर्णय लिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा उक्त 3 वार्डो में पूर्ण रूप से गृह जल संयोजन का जलापूर्ति कार्य किया जाएगा, जिसके लिए दिनांक–15.02.2019 तक प्राक्कलन समर्पित किया जायेगा।

13. कोईलवर :– लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित जलापूर्ति योजना Design Period में है। एक OHT निर्मित है, जिसमें पानी नही चढ रहा है। वर्ष 2004–05 की योजना है। निर्णया लिया गया कि Water Tower, rising mains को ठीक कराने हेतु एवं उक्त OHT से 3 वार्डो में जलापूर्ति एवं गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण कराने हेतु दिनांक–15.02.2019 तक PHED द्वारा प्राक्कलन समर्पित किया जायेगा। शेष 11 वार्डो में नगर निकाय द्वारा जलापूर्ति एवं गृह जल संयोजन का कार्य कराया जायेगा तथा इन वार्डो में PHED के assests को नगर निकाय को हस्तांतरित किया जायेगा।

14. जनकपुर रोड :— वर्ष 1972—73 की जलापूर्ति योजना है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा योजना नगर निकाय को हस्तांतरित कर दी गई है, परन्तु कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उक्त के संबंध में लिखित में कोई सूचना उपलब्ध नही होने की बात बतायी गई। बैठक में बताया गया कि OHT जर्जर है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता सीतामढ़ी को निदेश दिया गया कि OHT ,अगर repairable है, तो उसे कार्यरत बनाने हेतु प्राक्कलन 15.02.2019 तक निश्चित रूप से नगर निकाय को उपलब्ध करा दे। साथ ही OHT चालू कर नगर निकाय को hand over करेंगें एवं उसका उपयोग नगर निकाय द्वारा अपनी जलापूर्ति योजना में किया जायेगा।

15. कसबा :— लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की वर्ष 2008—09 की जलापूर्ति योजना है। इस योजनान्तर्गत 12.5 कि०मी० पाईप लाईन उपलब्ध है तथा Water Source अच्छा है। निदेश दिया गया कि नगर निकाय, उक्त योजना का लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से हस्तांतरण लेकर योजना के assests यथा water source (tubewell) एवं distribution pipe का उपयोग करते हुए पूरे नगर निकाय में जलापूर्ति योजना पूर्ण कराए।

16. बीहट :— लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित जलापूर्ति योजना का Desgin Period समाप्त हो चुका है एवं जर्जर है। निर्णय लिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, उक्त योजनाओं का हस्तांतरण नगर निकाय को कर दें एवं नगर निकाय सभी वार्डों में गृह जल संयोजन का कार्य करायेगा।

17. गोगरी जमालपुर :— नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का 2 OHT एवं 2 tubewell है तथा 20 वार्डों में आंशिक रूप से जलापूर्ति चालू है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के इस जलापूर्ति योजना से निकाय के सम्पूर्ण क्षेत्र को जलापूर्ति संभव है। निकाय द्वारा 34 योजनाओं की निविदा निकाली गई है तथा 15 में कार्यादेश भी निर्गत है तथा साथ ही 13 वार्ड में boring का भी कार्य हो गया है।

निदेश दिया गया कि बुडको के कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर, निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगें। Water source आदि के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अग्रतर निर्णय लिया जाएगा।

18. डुमरांव :— कुल 26 वार्डों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का 1 OHT है, जो

functional है तथा PHED द्वारा 1460 गृह जल संयोजन किया गया है। निर्णय लिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सम्पूर्ण योजना बुडको (18 वार्ड में कार्यरत) को हस्तांतरित कर दे। 8 वार्डों में नगर निकाय द्वारा कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

19. लालगंज :— नगर निकाय द्वारा सभी 19 वार्डों में गृह जल संयोजन किया जा रहा है तथा 14 वार्ड पूर्णतः आच्छादित है। निर्णय लिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग नगर निकाय को अपनी पुरानी जलापूर्ति योजना हस्तांतरित कर दें।

20. घोघरडीहा :— कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निदेशानुसार मैकेनिकल पार्ट का hand over लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण से ले लिया गया है। अन्य अवयव का हस्तांतरण 6 फरवरी तक हो जाएगा। जल मिनार की स्थिति अच्छी है तथा 5.5 कि०मी० पाईप लाईन 4 वार्ड में बिछा हुआ है। निर्णय लिया गया कि कार्यपालक अभियंता, मधुबनी विधुत एवं यांत्रिक अव्यवो का प्रभार नगर निकाय से प्राप्त कर 4 वार्ड का पूर्ण आच्छादन का कार्य करेंगे तथा इसके लिए प्राक्कलन दिनांक– 15.02.2019 तक उपलब्ध करायेंगे। साथ ही लिकेज की मरम्मति अभिलम्ब करायेगें। शेष 7 वार्डों में जलापूर्ति का कार्य नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।

21. दलसिंहसराय :— लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 2 OHT से 6 वार्डों में आंशिक जलापूर्ति किया जा रहा है। निर्णय लिया गया कि 6 वार्डो को पूर्णरूपेण आच्छादित करने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा प्राक्कलन तैयार कर दिनांक– 15.02.2019 तक नगर विकास विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। शेष 8 वार्ड में नगर निकाय द्वारा जलापूर्ति कार्य किया जाएगा।

22. बलिया :— कुल 24 वाडों में से 12 वार्डों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जलापूर्ति योजना का कार्य किया गया है। तथा 12 वार्डो में नगर निकाय द्वारा जलापूर्ति योजना का कार्य किया जा रहा है। निर्णय लिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 12 वार्डो को पूर्णरूपेण आच्छादित करने हेतु प्राक्क्लन तैयार कर विभाग को दिनांक–15.02.2019 तक उपलबध कराया जायेगा। शेष 12 वार्ड में नगर निकाय द्वारा जलापूर्ति योजना का कार्य किया जाएगा।

23. मोतीपुर :— लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 5 वार्ड में आंशिक रूप से जलापूर्ति किया जा रहा है। निकाय द्वारा 10 वार्ड में कार्य किया जा रहा है तथा 5 वार्ड में कार्य पूर्ण है। इस नगर निकाय में 2 जगह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का बोरिंग है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का pipe

line कई जगह missing है तथा FIR दर्ज हुआ है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोतीपुर को संयुक्त जाँच प्रतिवेदन 2 दिनों के अंदर समर्पित करने का निदेश दिया गया।

24. बेलसंड :– लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अपने जलापूर्ति योजना का हस्तांतरण नगर निकाय को कर दिया गया है। पूरे नगर निकाय में नगर पंचायत, बेलसंड द्वारा जलापूर्ति योजना का कार्य किया जाएगा।

25. झंझारपुर :– नगर पंचायत, झंझारपुर के 2 वार्डों में बुडको द्वारा एवं शेष 14 वार्डों में नगर निकाय द्वारा जलापूर्ति कार्य किया जा रहा है। निर्णय लिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पूर्व में क्रियान्वित जलापूर्ति योजना का हस्तांतरण नगर निकाय को कर दिया जाय। हस्तांतरण के समय योजना की सही स्थिति हस्तांतरण प्रतिवेदन में अवश्य दर्शाया जाए।

26. मोकामा :– लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा सभी वार्डो में आंशिक रूप से कार्य किया जा रहा है। 5 tubewell है। कार्यपालक अभियंता PHED द्वारा बताया गया कि सभी वार्डों को पूर्णतः आच्छादित करने हेतु extra tubewell की आवश्यकता होगी। 8 वार्ड में ULB द्वारा बोरिंग का कार्य किया गया है तथा सभी 28 वार्डों के जलापूर्ति योजना के लिए निविदा भी कर दी गई है।

निदेश दिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता एवं नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर संयुक्त प्रस्ताव 2 दिनों के अंदर उपलब्ध करायेंगे ताकि अग्रतर निर्णय लिया जा सके।

यह भी ज्ञात हुआ कि नगर निकाय द्वारा पूर्व में आवंटित राशि PHED को उपलब्ध नहीं करायी जा रही है, तदनुसार कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि house connection की अवशेष राशि नियमानुसार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को शीघ्र उपलब्ध करा दी जाए, अन्यथा कार्य की प्रगति में बाधा पहुँचाने हेतु अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

27. बख्तियारपुर :– संयुक्त जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त हैं। PHED को 12 वार्डों में आशिंक रूप से गृह जल संयोजन करने हेतु राशि पूर्व में उपलब्ध करायी गई है, तदनुसार निदेश दिया गया कि उक्त 12 वार्डों में PHED पूर्ण रूप से गृह जल संयोजन का कार्य कराने तथा इसके लिए आवश्यकतानुसार प्राक्कलन दिनांक–15.02.2019 तक नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करायें। नगर निकाय द्वारा शेष 15 वार्डों में पूर्ण रूप से जलापूर्ति योजना का कार्य कराया जाएगा।

28. लखीसराय :– 19 वार्ड में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा आशिंक रूप से जलापूर्ति का कार्य किया गया है। वर्ष 2013–14 में PHED को 408.492 एवं 350.368 लाख रू0 की योजना स्वीकृत की गई है, जो मुख्यतः 13 वार्ड क्षेत्र में है। निर्णय लिया गया कि 13 वार्ड पूर्ण रूप से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जाएगा तथा शेष 20 वार्ड नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।

यह भी बताया गया कि 33 वार्डों में 1 HP motor pump द्वारा पूर्व में 10–10 घरों में ULB द्वारा जलापूर्ति की योजना ली गई थी। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि इस प्रकार की योजना के रख–रखाव की जिम्मेवारी भी नगर निकाय की होगी।

29. बरबीघा :– पूर्व में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित जलापूर्ति योजना का हस्तांतरण नगर निकाय को कर दिया जाए। नगर निकाय द्वारा पूर्ण रूप से जलापूर्ति योजना का कार्य किया जाएगा, जिसमें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के water source का उपयोग किये जाने का निदेश दिया गया।

30. बखरी :– वर्ष 2006–07 की योजना है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की निकाय में चार जल मिनार है, जिससे 16 वार्ड cover हो रहा है। निर्णय लिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा आवश्यक मरम्मति कर चालू अवस्था में योजना नगर निकाय को हस्तांतरित कर दिया जाय एवं सभी वार्डों में नगर निकाय जलापूर्ति योजना का कार्य करायेगा।

31. चकिया :– वर्ष 1987 की जलापूर्ति योजना है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा direct pumping से आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। निदेश दिया गया कि नगर निकाय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से पूर्ण हस्तांतरण लेकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के assets यथा tubewell, distribution pipe का समुचित उपयोग करते हुए जलापूर्ति योजना का कार्य सभी वार्डों में पूर्ण करायें।

32. मोतिहारी :– नगर परिषद्, मोतिहारी AMRUT शहर है, जिसमें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं बुडको द्वारा जलापूर्ति कार्य किया जा रहा है। निर्णय लिया गया कि PHED द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण कराकर योजना बुडको को handover किया जायेगा।

33. दानापुर :– दानापुर क्षेत्र में पूर्व की बैठकों में भी संयुक्त जाँच कर प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव तैयार करने का निदेश दिया गया था।

उल्लेखनीय है कि बुडको द्वारा भी JNNURM के तहत कतिपय कार्य

कराये गये थे। इस संबंध में बुडको के अधीक्षण अभियंता, तथा PHED के कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि वे संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर दानापुर में निर्मित एवं अर्द्धनिर्मित संरचनाओं एवं पूर्व से उपलब्ध HDPE आदि के उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण दानापुर निजामत क्षेत्र में गृह जल संयोजन हेतु ठोस प्रस्ताव तैयार कर विभाग को उपलब्ध करायें।

34. राजगीर :— सम्पूर्ण नगर निकाय में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्य किया जाएगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निविदा निकाली गई है।

35. हवेली खगड़पुर :— लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा सम्पूर्ण नगर निकाय में कार्य किया जा रहा है। जमीन का विवाद है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता को संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर जमीन की समस्या का निराकरण कराने का निदेश दिया गया ।

36. सोनपुर :— बुडको द्वारा पूर्व में 4 high yield tubewell अधिष्ठापित है, तदनुसार उक्त source का उपयोग करते हुए पूरे नगर निकाय क्षेत्र में जलापूर्ति योजना का कार्य नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

बुडको के अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया गया कि वे अधिष्ठापित tubewell की जाँच कराकर नगर निकाय को सूचित कर दें।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सोनपुर को निदेश दिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पुराने योजना का पूर्ण रूप से hand over कर लिया जाय। साथ ही कार्यपालक अभियंता, छपरा को कार्य के quality monitoring करने का निदेश दिया गया।

37. कोचस :— नगर निकाय द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से हस्तांतरण ले लिया गया है। आगे की कार्रवाई नगर निकाय के स्तर पर होगी।

38. अरेराज :— वर्त्तमान में नगर निकाय द्वारा सभी वार्डों में जलापूर्ति योजना का कार्य किया जा रहा है तदनुसार कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से सम्पूर्ण हस्तांतरण प्राप्त कर assests यथा water source distribution network का उपयोग करते हुए जलापूर्ति सुनिश्चित कराए।

39. महुआ :— वर्त्तमान में नगर निकाय द्वारा सभी वार्डों में कार्य कराया जा रहा है। PHED की पुरानी योजना है जो अकार्यरत्त है। निर्णय लिया गया कि पूर्व की PHED की योजना लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नगर निकाय को हस्तांतरण किया जाएगा।

40. नौबतपुर :– PHED की कार्यरत्त योजना का हस्तांतरण नगर निकाय द्वारा लिया जायेगा तथा उनका water source, distribution pipe आदि का उपयेाग करते हुए 2 वार्ड में बुडको एवं शेष 13 वार्डों में नगर निकाय द्वारा जलापूर्ति योजना का कार्य किया जायेगा।

41. शाहपुर :– PHED की कार्यरत्त योजना का हस्तांतरण नगर निकाय द्वारा लिया जायेगा तथा उनका water source, distribution pipe आदि का उपयेाग करते हुए सभी वार्डों में नगर निकाय द्वारा जलापूर्ति योजना का कार्य किया जायेगा।

42. रोसड़ा :– PHED की कार्यरत्त योजना का हस्तांतरण नगर निकाय द्वारा लिया जायेगा तथा उनका water source, distribution pipe आदि का उपयेाग करते हुए सभी वार्डों में नगर निकाय द्वारा जलापूर्ति योजना का कार्य किया जायेगा।

43. पीरो :– नगर पंचायत, पीरो में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं नगर निकाय द्वारा जलापूर्ति योजना संचालित की जा रही है। कार्यपालक पदाधिकारी, पिरो एवं कार्यपालक अभियंता, आरा को संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की योजना से अच्छादित होने वाले वार्डो के संबंध में 2 दिनों के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

44. खगौल :– लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की योजना का design period समाप्त हो गया है, बुडको द्वारा पूर्व में कराई गई योजना कार्यरत्त है। निर्णय लिया गया कि PHED द्वारा नगर निकाय को योजना हस्तांतरण कर दिया जाय।

45. मसौढ़ी :– बुडको द्वारा सभी वार्डों में जलापूर्ति योजना का कार्य किया जा रहा है। निर्णय लिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बुडको को योजना का हस्तांतरण कर दिया जाय।

46. सिलाव :– सम्पूर्ण नगर निकाय में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है।

47. साहेबगंज :– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, साहेबगंज उपस्थित नहीं होने के कारण अगली बैठक में मामले को रखने का निदेश दिया गया।

48. डेहरी डालमियानगरः– AMRUT योजना के तहत बुडको द्वारा जलापूर्ति कार्य किया जा रहा है। PHED की योजना वर्ष 1964–65 की है, तदनुसार उसका हस्तान्तरण बुडको को प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

49. हाजीपुर हाजीपुर नगर परिषद में पूर्व से PHED की जलापूर्ति योजना कार्यरत्त है, परन्तु कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पाइपलाइन में जगह–जगह लीकेज की

समस्या बताई गई है, जिसके कारण स्थानीय लोगों में काफी रोष है तथा जिला प्रशासन द्वारा भी इस पर क्षोभ व्यक्त किया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता, हाजीपुर को निदेश दिया गया कि शीघ्र पाइप लाइन में लीकेज की समस्या का निराकरण करायें।

50. मनिहारी :— संबंधित पदाधिकारियों के अनुपस्थिति के कारण अगली बैठक में विचार किया जायेगा।

अन्यान्यः—

यह भी निर्णय लिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं के components यथा OHT, tubewell, distribution pipeline आदि का उपयोग नगर निकाय द्वारा क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं में किया जाएगा।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जिन योजनाओं का O&M किया जा रहा है, उसमें दिनांक—31.03.2019 तक की सभी देनदारी यथा— बिजली बिल, पम्प ऑपरेटर का मानदेय इत्यादि का भुगतान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा ही किया जाएगा।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं को नगर निकाय को भूमि सहित Hand Over किया जाएगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का कार्यालय उसी परिसर में होने की स्थिति में कार्यालय की भूमि का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, बल्कि योजनाओं एवं उनके अवयवों का हस्तांतरण किया जाएगा।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा क्रियान्वित जलापूर्ति योजनाओं में कार्यरत पम्प ऑपरेटर को दैनिक भत्ता पर रखने के संबंध में नगर निकायों को अलग से दिशा—निर्देश निर्गत किया जाएगा।

यह स्पष्ट है कि PHED की पुरानी योजनाओं का water source, distribution network, OHT आदि यदि कार्यरत्त है तो नगर निकाय PHED के उक्त संसाधनों का उपयोग अपनी जलापूर्ति योजना में करें ताकि अनावश्यक रूप से tubewell आदि अधिष्ठापन करने की आवश्यकता नहीं हो एवं अतिरिक्त भूगर्भ—जल के दोहन से बचा जा सके।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

21/2

(जितेन्द्र श्रीवास्तव),
सरकार के सचिव,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

22/2/2019

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–2ब० / जला०–01–05 / 2018 1266 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक 25/2/19

प्रतिलिपिः– सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / प्रबंध निदेशक, बुडको / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्– बाढ़, खगौल, मोकामा, मसौढ़ी, बख्तियारपुर, डुमरांव, भभुआ, अरवल, नवादा, समस्तीपुर, लखीसराय, गोपालगंज, मोतीहारी, अररिया एवं दानापुर / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत– मनेर, नौबतपुर, मोहनीया, पीरो, बिहियाँ, कोईलवर, शाहपुर, विक्रमगंज, नोखा, कोचस, सिलाव, राजगीर, नवगछिया, बेलसंड, जनकपुर रोड, मोतीपुर, साहेबगंज, लालगंज, महुआ, चकिया, अरेराज, झंझारपुर, घोघरडीहा, दलसिंहसराय, रोसड़ा, हवेली खड़गपुर, बरबीघा, गोगरी जमालपुर, बखरी, बलिया, सोनपुर, निर्मली, कसबा एवं मनिहारी / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय नोडल पदाधिकारी (नल–जल निश्चय) / विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/2/2019

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान

C:\Users\SE Monitoring\Documents\All Files (SAHEB)-25-12-18\jha sir (EE)\PHED REPORT DT-013.02.2019 1 - Copy.docx